न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प डीग

पीठासीन अधिकारी श्री जे0एन0मथुरिया आर.ए.एस.

अपील संख्या 18 / 12 (223 आर.टी.एक्ट)

आर.सी.एम.एस.नम्बर– 2012 / 00119

उनवानी :–

1– कमली बेवा अजमत

2– वजीर
3– नूरू
4– अली मोहम्मद
5– अलीम
6– सहीद
पिसरान अजमत जाति मेव निवासी भण्डारा तह. कामां

7– रसीदन पुत्री अजमत पत्नि भोरखां जाति मेव निवासी जोत कादर तह. पहाड़ी
8– हकीमन पुत्री अजमत पत्नि मजीद जाति मेव निवासी हथनगांव तह. पुहाना जिला नूहमेवात (हरियाणा)

––––––––––––अपीलांट

बनाम

1– रसूली बेवा फजरू

2– ईशाक
3– कमल
पुत्रगण फजरू

4– फतेह मो.
5– रसूल खां
6– इसरापल
7– ईशाक
8– उस्मान
पिसरान कमल खां जाति मेव निवासी भण्डारा तह. कामां

9– तहसीलदार कामां

––––––––––––––––रेस्पो

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय एस.डी.ओ

कामां दिनांक 06.02.12 मु0न0 106 / 03

उनवानी अजमत बनाम सकीना

उपस्थितिः–

1– वकील अपीलांट श्री राजेश कुमार गुप्ता एड.

निर्णय दिनांक 23.03.2018

यह अपील अपीलार्थी द्वारा इस आशय की पेश की गई है कि आराजी खसरा नम्बर 1664 / 0.38 है0 वाके ग्राम भण्डारा तहसील कामां जिला भरतपुर में स्थित है। जिसे आगे विवादित आराजी कहा गया है । विवादित आराजी बाबत् अधि0 न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर यह अपील अपीलार्थी द्वारा पेश की गयी।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो को तलब किया गया। अधि. न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी।

बहस एक पक्षीय सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अपीलार्थी के नाम अधि. न्यायालय में 1994 में पारित आदेश के अनुसार विवादित आराजी आयी थी लेकिन तहसीलदार द्वारा बिना किसी अधिकार के प्रत्यर्थी का नाम 1/5 हिस्से पर दर्ज कर दिया है जिसे कलमजन किया जावे।

बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधि. न्याया. के आदेश से यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी स. 1 लगायत 4 का पूर्वज फजरू जरिये एलोटमेंट1/5 हिस्से पर काबिज था। अपीलार्थी अपना वाद इस आधार पर लेकर आये है कि तत्कालीन खातेदार ने 2012 के आस–पास हमेशा हमेशा के लिये काश्त पर बता दी थी। राज. काश्तकारी अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे मौखिक कथन के आधार पर खातेदारी प्राप्त हो सके। अतः अधि. न्याया. के अपीलाधीन आदेश में कोई त्रुटि प्रकट नहीं होती है।

उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है,एवं अधि. न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

यह आदेश आज दिनांक 23.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official